पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5217

==========

डॉ. ईना बहन, पुत्री- स्वर्गीय रामधर प्रसाद, पत्नी- राज शेखर प्रसाद, निवासी 8 ई/13, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, कंकड़बाग, थाना- न्यू आगमकुआं, जिला-पटना, बिहार-800026।

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव, बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पटना।
3. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. बिहार लोक सेवा आयोग, सचिव के माध्यम से, 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना-800001।
5. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना-800001।
6. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना- 800001।
7. बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक, 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना-800001।
8. मुकेश कुमार सिन्हा, पुत्र- स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद, निवासी- रामराजी रोड, मारीपुर, थाना-काजीमोहम्मदपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।
9. बिप्लब गोस्वामी, पुत्र-तापस कुमार गोस्वामी, निवासी- आरा बिधान पार्क, मलांडीधी, थाना कांसा, जिला पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल।
10. कुमार संजय सिन्हा, पुत्र- रबी भूषण प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी- 105 सुषमा सदन, थाना-गोपालगंज, जिला गोपालगंज।
11. ज्योति गौतम, पुत्री- प्रेमपाल सिंह, निवासी- थाना मुंधा पांडे, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
12. मनोज दास, पुत्र-धीरेंद्र नाथ दास, निवासी- स्वामी विवेकानंद पल्ली, पी. एस. कुट्टी, जिला पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल।

.....उत्तरदाताओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री कुमार कौशिक अधिवक्ता
बी.पी.एस.सी के लिए	:	श्री पी.के. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री विकाश कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, जीपी-10
		श्री विरेंद्र कुमार, एसी से जीपी-10
प्रत्यर्थी सं 8 से 12 के लिए	:	श्री हर्ष सिंह, अधिवक्ता

==========

भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 226–मुख्य उत्तर की शुद्धता को चुनौती देना– उम्मीदवार पर न केवल यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि मुख्य उत्तर सही है, बल्कि यह भी कि यह एक स्पष्ट गलती है, जो पूरी तरह से स्पष्ट है और यह दिखाने के लिए किसी अनुमानित प्रक्रिया या तर्क की आवश्यकता नहीं है कि मुख्य उत्तर गलत है– याचिकाकर्ता ने लगातार अभ्यावेदन दायर किए हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए विभिन्न प्रमाण-पत्रों का उल्लेख किया है, जिन्होंने एक प्रमाण-पत्र दिया है कि आयोग द्वारा निर्धारित उत्तर कुंजी उनके द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों में उल्लिखित प्रश्नों के संबंध में गलत है–प्रश्न निर्धारकों द्वारा तैयार की गई कुंजी (प्रश्नों के सही उत्तर) की जाँच विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जाती है–आयोग के एक ही विशेषज्ञ एक ही प्रश्न के संबंध में विभिन्न अवसरों पर अलग-अलग राय देते रहे हैं– आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति उनके द्वारा सुझाई गई उत्तर कुंजी के बारे में आश्वस्त नहीं थी क्योंकि इसने न केवल अपनी उत्तर कुंजी को एक बार नहीं बल्कि दो बार बदला है, गलत उत्तर कुंजी गलत परिणाम की ओर ले जाती है–न्यायालय किसी विशेष प्रश्न के उत्तर की सत्यता की जाँच करने में खुद को पूरी तरह से अक्षम पाता है क्योंकि उसके पास एक परीक्षा निकाय द्वारा निर्धारित प्रश्नों के संबंध में कोई विशेषज्ञता

नहीं है–याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री, अर्थात, प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों की राय, आयोग द्वारा एक बार फिर विचार की आवश्यकता है जहां तक यह याचिकाकर्ता से संबंधित है–रिट आवेदन टिप्पणियों और दिशा के साथ निपटाया गया।

(पैरा 28, 31 से 33)

*(2018) 2 एस.सी.सी.357–**निर्भर किया गया***

*(2020) 2 एस.सी.सी. 173; (2020) 20 एस.सी.सी. 209; (2013) 11 एस.सी.सी. 309; (2018) 7 एस.सी.सी. 254; 2021 (1) बी.एल.जे. 673; (2013) 4 एस.सी.सी. 690; (2015) 13 एस.सी.सी. 744; (2005) 13 एस.सी.सी. 749; (2018) 8 एस.सी.सी. 81; (1983) 4 एस.सी.सी. 309–**संदर्भित किया गया***

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार शरण

कैव जजमेंट

तारीखः 30-04-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री कुमार कौशिक को सुना। पी.के. शाही, विद्वान वरिष्ठ वकील, जिनकी सहायता बिहार लोक सेवा आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री विकाश कुमार, प्रतिवादी संख्या 8 से 12 के लिए विद्वान वकील श्री हर्ष सिंह और राज्य के लिए विद्वान वकील श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने की।

2. वर्तमान रिट आवेदन द्वारा, याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत चाहता है:

> *i. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार सरकार के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जारी किए गए विज्ञापन संख्या 63/2020 के खिलाफ 25.03.2023 पर प्रकाशित लिखित परीक्षा के परिणाम को रद्द करने और अलग करने के लिए एक आदेश, निर्देश या प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, उपरोक्त परिणाम प्रत्यर्थी आयोग द्वारा तैयार की गई एक त्रुटिपूर्ण मोडल उत्तर कुंजी का उपयोग करके प्रकाशित किया गया है।*
>
> *ii. उत्तरदाता आयोग को सेट बी में मॉडल उत्तर कुंजी को निम्नलिखित सीमा तक बदलने का निर्देश देने के लिए एक आदेश, निर्देश या अनिवार्य रिट जारी करने के लिए और उसके*

बाद सही उत्तर कुंजी का उपयोग करके परिणाम को संशोधित करें (क) प्रश्न संख्या 17 को गलती से हटा दिया गया है और इसका सही उत्तर विकल्प सी है।

(ख) प्रश्न संख्या 20 का कोई सही उत्तर नहीं है और इसलिए, विकल्प डी के आधार पर मूल्यांकन करने के बजाय इसे हटा दिया जाना चाहिए।

(ग) प्रश्न संख्या 27 के उत्तर को विकल्प डी से विकल्प ए में बदला जाना चाहिए।

(घ) प्रश्न संख्या 54 के उत्तर को विकल्प बी से विकल्प सी में बदल दिया जाना चाहिए।

iii. प्रतिवादी आयोग को तदनुसार परिणाम को संशोधित करने और 24.09.2020 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 63/2020 के खिलाफ नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता पर विचार करने का निर्देश देने के लिए एक आदेश, निर्देश या अनिवार्य रिट जारी करने के लिए,

iv. स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक नए निकाय द्वारा उत्तर कुंजी का मूल्यांकन करने और उसके बाद उनके द्वारा सुझाए गए उत्तर कुंजी के आधार पर एक संशोधित परिणाम प्रकाशित करने के लिए प्रतिवादी आयोग को निर्देश देने के लिए एक आदेश निर्देश या अनिवार्य रिट जारी करने के लिए क्योंकि आयोग के विशेषज्ञों ने पांच मौकों पर उत्तर कुंजी प्रकाशित की है और

आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में अनिश्चित प्रतीत होते हैं।

v. वर्तमान रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान विज्ञापन संख्या 63/2020 के खिलाफ 25.03.2023 पर प्रकाशित आक्षेपित परिणाम पर चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने से प्रतिवादी आयोग को रोकने के लिए एक आदेश, निर्देश या एक उपयुक्त रिट जारी करने के लिए और उन्हें 11.04.2023 से 14.03.2023 तक निर्धारित साक्षात्कार आयोजित करने से रोकने के लिए।

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य</u>

3. बिहार लोक सेवा आयोग (इसके बाद संक्षेप में 'आयोग' के रूप में संदर्भित) ने 24.09.2020 को एक विज्ञापन सं. 63/2020 जारी किया, जिसमें बिहार राज्य के विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में भौतिकी विषय में सहायक प्रोफेसर के 59 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। याचिकाकर्ता, जो डब्ल्यू.बी.सी श्रेणी से संबंधित है, ने खुद को उक्त पद के लिए योग्य पाते हुए, उसी के लिए आवेदन किया।

4. उक्त विज्ञापन में शैक्षणिक रिकॉर्ड और अनुसंधान प्रदर्शन के लिए 20 अंक, लिखित परीक्षा (उद्देश्य) के माध्यम से डोमेन ज्ञान और शिक्षण कौशल के मूल्यांकन के लिए 40 अंक, साक्षात्कार के लिए 15 अंक और 25 अंक अनुबंध के आधार पर लगे सहायक प्रोफेसर के लिए एक शर्त के साथ कि एक उम्मीदवार प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अधिकतम 25 अंकों के साथ पांच अंकों के लिए पात्र होगा। विज्ञापन में आगे कहा गया है

कि उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो याचिकाकर्ता, जो एक महिला है, के मामले में 32 प्रतिशत था। चूंकि लिखित परीक्षा 40 अंकों की थी, इसलिए उम्मीदवारों को 40 अंकों में से 12.08 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

5. उक्त पद के लिए परीक्षा 23.10.2022 को आयोजित की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता ने भाग लिया था। परीक्षा में, याचिकाकर्ता को भौतिकी विषय में पुस्तिका श्रृंखला 'बी' दी गई, जिसमें कुल 80 प्रश्न थे। सभी प्रश्नों में समान अंक थे और नकारात्मक अंकन का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता ने सभी प्रश्नों का प्रयास किया।

6. 12.11.2022 को आयोग ने एक सूचना प्रकाशित की कि भौतिकी विषय के सभी चार सेट के प्रश्न पत्रों की अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा रही है। आयोग ने 02.11.2022 से पहले स्पीड पोस्ट के माध्यम से उम्मीदवारों से आपत्ति आमंत्रित की। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 17.11.2022 को स्पीड पोस्ट द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसे समय के भीतर अच्छी तरह से प्राप्त किया गया और उन्होंने निम्नलिखित प्रश्नों के संबंध में आपत्ति जताई है:

क्रम स.	प्र. सं.	याचिकाकर्ता द्वारा सुझाया गया विकल्प	अनंतिम उत्तर कुंजी में सही उत्तर के रूप में दिया गया विकल्प
1.	17	सी	बी
2.	26	डी	बी
3.	27	ए	डी
4.	28	कोई भी उत्तर सही नहीं है, उसे हटा दिया जाना चाहिए	बी

5.	29	कोई भी उत्तर सही नहीं है, उसे हटा दिया जाना चाहिए	बी
6.	36	बी	ए
7.	46	प्रश्न गलत है, इसलिए उसे हटा दिया जाना चाहिए	डी

7. इसके बाद, आयोग ने 10.11.2023 को एक और नोटिस प्रकाशित किया, जिसमें उम्मीदवारों से दूसरी आपत्ति आमंत्रित की गई और दिनांकित 10.11.2023 नोटिस के साथ पहली आपत्ति के आधार पर एक संशोधित दूसरी अनंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई। आयोग ने दो प्रश्नों को हटा दिया और प्रश्न संख्या 17, 36 और 46 के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण किया गया। प्रश्न संख्या 17 और 36 के संबंध में विकल्प को आयोग द्वारा बदल दिया गया था और याचिकाकर्ता की आपत्ति के अनुसार प्रश्न संख्या 46 को हटा दिया गया था। अन्य प्रश्न के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत बनी रही और कुछ नई शिकायतें उत्पन्न हुई क्योंकि कुछ प्रश्न, जिन्हें याचिकाकर्ता के अनुसार पहली अनंतिम उत्तर कुंजी में ठीक किया गया था, को दूसरी अनंतिम उत्तर कुंजी में बदल दिया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने 13.01.2023 को ईमेल के माध्यम से एक और आपत्ति दर्ज की, जिसमें उनकी शिकायत इस प्रकार है:

क्रम स.	प्र. सं.	याचिकाकर्ता द्वारा	अनंतिम उत्तर कुंजी	द्वितीय अनंतिम उत्तर कुंजी
1.	24	ए और डी	ए	डी
2.	27	ए	डी	डी
3.	28	कोई भी सही नहीं है	बी	बी

4.	29	कोई भी सही नहीं है	बी	बी
5.	74	बी	सी	बी

8. इसके बाद, आयोग ने दिनांक 19.01.2023 की एक अधिसूचना प्रकाशित की, जिसके द्वारा आयोग ने 21.01.2023 को अपने कार्यालय में आपत्ति उठाने वाले उम्मीदवारों को विशेषज्ञों के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया। याचिकाकर्ता अपनी आपत्ति के समर्थन में साक्ष्य के साथ निर्धारित तिथि पर पेश हुई, लेकिन विशेषज्ञों के साथ कोई भौतिक चर्चा की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वे आयोग के कार्यालय में भौतिक रूप से मौजूद नहीं थे, बल्कि आयोग के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को एक-एक करके दो विशेषज्ञों के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने में सक्षम बनाया। विशेषज्ञों ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया कि अन्य आपत्तियों के अलावा, प्रश्न संख्या 27 पर विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने 23.01.2023 को ईमेल के माध्यम से एक नया अभ्यावेदन दायर किया, जिसके द्वारा उसने प्रश्न संख्या 27 पर अपने दावे के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया।

9. याचिकाकर्ता ने ई-मेल के माध्यम से 24.01.2023 को एक और अभ्यावेदन दायर किया और दावा किया कि प्रश्न संख्या 27 की जांच गणित और भौतिकी विषय के विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से की जा सकती है। इसके बाद, आयोग ने 24.01.2023 पर एक अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की जिसमें छह प्रश्नों को हटा दिया गया था और यहां तक कि एक सही उत्तर वाले प्रश्नों को भी हटाए गए प्रश्नों की सूची में शामिल किया गया था और कुछ उत्तर, जो पहले से ही पहली अनंतिम उत्तर कुंजी में सही थे, बदल दिए गए हैं। अब प्रश्न संख्या 74 के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण अंतिम उत्तर कुंजी में कर दिया गया क्योंकि सही उत्तर को पहली अनंतिम उत्तर कुंजी की तरह फिर से

विकल्प बी में बहाल कर दिया गया था, लेकिन प्रश्न संख्या 17 और 24 के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत शेष रहा क्योंकि दोनों प्रश्नों का एक ही सही उत्तर था लेकिन फिर भी उन्हें हटा दिया गया था। प्रश्न संख्या 27, 28 और 29 के संबंध में भी याचिकाकर्ता की शिकायत बनी रही क्योंकि उन तीन प्रश्नों को हटा दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार, प्रश्न संख्या 54 के संबंध में एक नई शिकायत उत्पन्न हुई थी, क्योंकि विकल्प, जो पहले सही था, अंतिम उत्तर कुंजी में सी से बी में बदल दिया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रतिष्ठित प्रोफेसरों के प्रमाण पत्रों के साथ 30.01.2023 को एक और अभ्यावेदन दायर किया। जहाँ तक प्रश्न संख्या 20, 27, 28 और 29 का संबंध है, याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में ठोस साक्ष्य के साथ स्पष्ट रूप से हल किया हुआ उत्तर दिया था। याचिकाकर्ता का आवेदन उसी दिन आयोग के कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त हुआ और इसे ई-मेल के माध्यम से भी भेजा गया। याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन में उठाई गई शिकायत इस प्रकार है:-

क्रम स.	प्र. सं.	याचिकाकर्ता द्वारा सुझाया गया विकल्प	अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प
1.	17	सी	कोई भी सही नहीं है
2.	20	कोई भी सही नहीं है	डी
3.	27	ए	डी
4.	28 और 29	कोई भी सही नहीं है	बी
5.	54	सी	बी

10. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 31.01.2023 और 04.02.2023 को आयोग के अध्यक्ष के समक्ष प्रश्न संख्या 20 27 28 और 29 के खिलाफ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय

के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर की राय देते हुए अभ्यावेदन दायर किया। उन्होंने प्रश्न संख्या 17, 20. 27, 28, 29 और 54 के संबंध में अपने दावे के समर्थन में एक प्रोफेसर डॉ. आश्वर यादव के प्रमाण पत्र के साथ 14.02.2023 को एक और अभ्यावेदन दायर किया। आयोग ने 23.02.2023 को एक और नोटिस जारी किया जिसके द्वारा संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई और याचिकाकर्ता की आपत्ति के अनुसार दो उत्तरों को फिर से बदल दिया गया और प्रश्न संख्या 28 और 29 को हटा दिया गया। इस प्रकार, कुल 8 प्रश्नों को हटा दिया गया और 32 प्रश्नों के लिए मूल्यांकन किया गया। याचिकाकर्ता की बाकी आपत्तियों का निवारण नहीं किया गया।

11. इसके बाद याचिकाकर्ता ने 24.02.2023 को शेष चार प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 17 20 27 और 54 के संबंध में चार प्रतिष्ठित प्रोफेसरों के प्रमाण पत्र के साथ एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने दिनांक 28.02.2023 को एक नया नोटिस जारी किया, जिसमें संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 23.02.2023 में सेट ए के प्रश्न संख्या 9 और 10 के संबंध में और आपत्ति आमंत्रित की गई, जो प्रश्न सेट बी के प्रश्न संख्या 28 और 29 के बराबर हैं। याचिकाकर्ता ने प्रश्न संख्या 28 और 29 सहित 03.03.2023 को एक नया अभ्यावेदन दायर किया जिसमें अनुरोध किया गया कि चूंकि कोई भी उत्तर सही नहीं है, इसलिए उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने सेट 'बी' के प्रश्न संख्या 17, 20, 27 और 54 के संबंध में भी अपनी आपत्ति जताई। अंत में, आयोग ने 17.03.2023 को अंतिम (तीसरा) मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित की जिसमें प्रश्न संख्या 28 और 29 को हटा दिया गया है, लेकिन अन्य चार प्रश्नों के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान नहीं किया गया है। आयोग ने 25.03.2023 को परिणाम प्रकाशित किया, हालांकि, याचिकाकर्ता ने अपनी श्रेणी में अर्हता प्राप्त नहीं की।

याचिकाकर्ता को उम्मीद है कि यदि चार में से दो आपत्तियां स्वीकार कर ली गईं तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी। इसलिए, यह रिट आवेदन

<u>याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है</u>

12. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री कुमार कौशिक ने अन्य बातों के *साथ-साथ* तर्क दिया है कि आयोग ने 25.03.2023 को परिणाम प्रकाशित किया है जिसमें याचिकाकर्ता को सफल घोषित नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने अनुमान के अनुसार 22 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और यदि उसके चार प्रश्नों में से दो को स्वीकार किया जाता है तो वह विज्ञापन के अनुसार न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त करेगी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पाँच विशेषज्ञों ने एक प्रमाण पत्र दिया है कि आयोग का जवाब गलत है। वे प्रमाण पत्र प्रतिष्ठित प्रोफेसरों द्वारा जारी किए गए हैं और रिट याचिका के अनुलग्नक-16 श्रृंखला में निहित हैं। आयोग की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से दायर प्रत्युत्तर के साथ संलग्न रिट याचिका के अनुलग्नक 22 में एक और प्रमाण पत्र निहित है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि विशेषज्ञों ने उत्तर कुंजी पर निष्पक्ष रूप से विचार नहीं किया है और इसे स्वीकार करने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि उन्होंने विभिन्न अवसरों पर एक ही उत्तर को बदल दिया है और 22.11.2022 को अनंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित होने के बाद चार अवसरों पर संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित की है।

12. उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि एक गलत उत्तर कुंजी के अनुप्रयोग से गलत परिणाम मिलता है और यह पूरे परिणाम को दूषित करने के लिए पर्याप्त है। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होने अन्य बातों के *साथ-साथ* निम्निलिखित निर्णयों पर भरोसा:

(I) **राजेश कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य ने (2013) 4 एस. सी. सी. 690** में रिपोर्ट किया।

(ii) **मनीष उज्जवल और अन्य बनाम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और अन्य ने (2015) 13 एस. सी. सी. 744** में रिपोर्ट किया।

(iii) **गुरुनानक देव विश्वविद्यालय बनाम स्वामी गर्ग और अन्य ने (2005) 13 एस. सी. सी. 749** में रिपोर्ट किया।

(iv) **रिशाल बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (2018) 8 एस. सी. सी. 81** में रिपोर्ट किया गया

(v) **कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता ने (1983) 4 एस. सी. सी. 309** में रिपोर्ट किया।

13. अंत में यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने लगातार अभ्यावेदन दायर किया है और विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए विभिन्न प्रमाणपत्रों का उल्लेख किया है, जिन्होंने एक प्रमाण पत्र दिया है कि आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों में उल्लिखित प्रश्नों के संबंध में गलत है। आयोग के एक ही विशेषज्ञ एक ही प्रश्न के संबंध में अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग राय देते रहे हैं। जब उन्होंने पहली बार 05.01.2023 को सभी 80 प्रश्नों की उत्तर कुंजी की जांच की थी, तब भी उन्होंने दो अनंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की और उन्हें अंतिम रूप नहीं दे सके। अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करते समय कुछ उत्तरों को फिर से बदल दिया गया। अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित होने के बाद भी फिर से दो प्रश्न हटा दिए गए। इसके बाद, एक और अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई। आयोग द्वारा कुल मिलाकर पाँच उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई हैं। आयोग के विशेषज्ञ जवाब के बारे में अनिश्चित प्रतीत होते हैं।

बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा में, विशेष रूप से भौतिकी के विषय में, एक उत्तर विशेष रूप से सही होना चाहिए था और विशेषज्ञों से एक बैठक में सभी 80 प्रश्नों के सही उत्तर देने की अपेक्षा की जाती थी। भले ही अन्य बैठकें आयोजित की गई हो, लेकिन यह तथ्य कि कुछ उत्तरों में बदलाव किया गया था, स्पष्ट रूप से बताता है कि आयोग द्वारा प्रस्तुत उत्तर कुंजी सार्वजनिक रोजगार के उद्देश्य से स्वीकार करने के लिए असुरक्षित है। यह याचिकाकर्ता और यहां तक कि उन लोगों को भी सीधे प्रभावित करता है जिन्होंने इस माननीय न्यायालय से संपर्क नहीं किया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत गारंटीकृत सार्वजनिक रोजगार के लिए विचार किए जाने के उनके अधिकार को प्रभावित करता है। अतः यह प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका की अनुमति दी जाए।

आयोग की ओर से प्रस्तुतियाँ

14. आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी.के. शाही ने अन्य बातों के *साथ-साथ* प्रस्तुत किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों में 80 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल हैं। विषय। उत्तर पुस्तिका ओ. एम. आर. प्रकार की होती है जैसे कि अन्य वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रत्येक प्रश्न के लिए बहुविकल्पीय वैकल्पिक उत्तर होते हैं, जिनमें से केवल एक ही उत्तर सही उत्तर होगा। भौतिकी का प्रश्न पत्र सेटर द्वारा निर्धारित किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उम्मीदवार साहित्यिक चोरी का सहारा न लें, प्रश्न पत्र ए, बी, सी और डी श्रृंखला में मुद्रित किया गया था। हालांकि, चार श्रृंखलाओं में से प्रत्येक में क्रम इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि एक श्रृंखला में प्रत्येक प्रश्न का अनुक्रम दूसरी श्रृंखला से भिन्न होता है।

15. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रश्न पुस्तिका के पहले पृष्ठ में विस्तृत निर्देश हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को उक्त निर्देशों को पढ़ना और उनका उत्तर देने का प्रयास करते समय उनका पालन करना आवश्यक था। आयोग ने दैनिक समाचार पत्र और अपनी वेबसाइट पर उम्मीदवारों को सूचित करते हुए एक नोटिस प्रकाशित किया कि प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए, बी, सी और डी के अनंतिम उत्तर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 12.11.2022 से उपलब्ध होंगे और यह भी सूचित किया गया कि यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के अनंतिम उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति है, तो वे विश्वसनीय स्रोत/साक्ष्य द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति/सुझाव 21.11.2022 शाम 5 बजे तक आयोग को प्रस्तुत कर सकते हैं।

16. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आयोग के मानदंडों के अनुसार, प्रश्न सेट करने वालों द्वारा तैयार की गई कुंजी (प्रश्नों के सही उत्तर) की जांच और जांच विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जाती है। प्रश्न निर्धारकों द्वारा दिए गए प्रमुख उत्तरों और उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत आपत्तियों/सुझावों का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

17. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उम्मीदवारों की आपत्तियों/सुझावों को संतुष्ट करने के लिए आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसने न केवल एक बार बल्कि तीन बार प्रमुख उत्तर की जांच की है और उसके बाद अंतिम परिणाम प्रकाशित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयोग ने परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पहली बार में, प्रश्न निर्धारक द्वारा दी गई आदर्श उत्तर कुंजी को प्रकाशित किया, उस पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए और प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने पर विशेषज्ञ समिति ने अनंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की और फिर से अनंतिम उत्तर कुंजी

के लिए आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए। याचिकाकर्ता ने मॉडल उत्तर कुंजी और श्रृंखला 'बी' की अनंतिम उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की। विशेषज्ञ समिति ने उनकी आपत्ति/सुझाव को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता अपनी श्रेणी में नीचे है और किसी अन्य विशेषज्ञ समिति द्वारा उत्तर कुंजी के नए सिरे से मूल्यांकन के लिए उसकी प्रार्थना, रण विजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018) 2 एससीसी 357 में रिपोर्ट किए गए मामले में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम राहुल सिंह और अन्य (2018) 7 एससीसी 254 में रिपोर्ट किए गए मामले में और बिहार लोक सेवा आयोग बनाम आशीष कुमार पाठक और अन्य 2021 (आई) बीएलजे 673 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर खारिज किए जाने योग्य है।

18. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शाही ने अपनी दलीलों का सारांश देते हुए अंत में कहा कि आयोग ने परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए थे और उसके बाद परिणाम प्रकाशित किया गया था। याचिकाकर्ता, जो परीक्षा में सफल नहीं हो सका, ने पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए वर्तमान रिट आवेदन दायर किया है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

<u>प्रतिवादी संख्या 8 से 12 की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

19. दिनांक 14.09.2023 के आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 8 से 12 को इस रिट आवेदन में मध्यस्थ प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया है और उनका प्रतिनिधित्व विद्वान अधिवक्ता श्री हर्ष सिंह के माध्यम से किया गया है।

20. प्रतिवादी संख्या 8 से 12 के विद्वान वकील श्री हर्ष सिंह ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 8 से 12

ने आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया था और उन्हें लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया था और उन्हें अप्रैल, 2023 के महीने में विभिन्न तारीखों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जिसमें वे उपस्थित हुए और बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद चयन प्रक्रिया के अंतिम परिणाम में सफल होने की आशावादी हैं।

21. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अंतिम मॉडल उत्तर कुंजी, जिसके आधार पर विवादित परिणाम घोषित किया गया है, उम्मीदवारों को सुनवाई के अवसर सहित अपनी-अपनी आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए पांच अवसर देने के बाद प्रकाशित की गई थी, जैसा कि रिट याचिका में भी स्वीकार किया गया था। एक उम्मीदवार, जिसने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है, मोड़ नहीं सकता है और उसी को चुनौती नहीं दे सकता है क्योंकि लिखित परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन से पहले उम्मीदवारों को अभ्यावेदन के माध्यम से अपनी आपत्तियों/सुझावों को दर्ज करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे और साथ ही सुनवाई भी की गई थी, जिसका याचिकाकर्ता द्वारा लाभ उठाया गया था और विधिवत विचार किया गया था, जिसके आधार पर उत्तर कुंजी को संशोधित किय गया था और कई दौर की जांच के बाद विशेषज्ञों द्वारा इसे अंतिम रूप दिया गया था।

22. यह भी दलील दी गई है कि एक मौका लेने और उसके बाद असफल घोषित किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता को उसी चयन प्रक्रिया को पलटने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसमें उसने बिना किसी आपत्ति के भाग लिया था और केवल इसलिए कि अंतिम परिणाम याचिकाकर्ता को पसंद नहीं आया, उसने उसे चुनौती दी। किसी भी स्तर पर उन्होंने विशेषज्ञ समिति के गठन या विभिन्न दौर की जांच में विशेषज्ञों के एक ही समूह द्वारा बार-बार समीक्षा करने पर आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि याचिकाकर्ता ने एक अनुकूल परिणाम की प्रत्याशा में जानबूझकर भाग लिया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंकों की

संख्या और याचिकाकर्ता की श्रेणी के कट-ऑफ अंकों और उन अंकों की संख्या के संबंध में कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं है जिनके द्वारा याचिकाकर्ता कट-ऑफ से चूक गया।

23. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता जांच के एक और दौर के लिए अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं कर सकता है क्योंकि कानून अब एकीकृत नहीं है कि एक रिट याचिका एक अधिकार के निर्माण के लिए दायर नहीं की जा सकती है, बल्कि केवल एक निहित अधिकार के उल्लंघन के निवारण के लिए दायर की जा सकती है, जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित है। याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि उत्तर कुंजी/प्रश्न इतने स्पष्ट रूप से गलत थे कि कोई भी उचित व्यक्ति, जो इस विषय में अच्छी तरह से पारंगत हो, उन्हें सही नहीं मानेगा। श्री हर्ष सिंह ने अनुपाल सिंह बनाम यूपी राज्य (2020) 2 एससीसी 173, रामजीत सिंह कर्दम बनाम संजीव कुमार (2020) 20 एससीसी 209 और रमेश चंद्र साह बनाम अनिल जोशी (2013) 11 एससीसी 309 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।

निष्कर्ष और विश्लेषण

24. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से श्री कुमार कौशिक द्वारा संबोधित विस्तृत दलीलों पर विचार किया है, साथ ही आयोग के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. के. शाही और मध्यस्थ-प्रत्यर्थियों की ओर से श्री हर्ष सिंह की भी, संबंधित पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की है और संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी विचार किया है।

25. यह तर्क से परे है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय को परीक्षा और उसके परिणामों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में सीमित और परिबद्ध किया गया है, क्योंकि न्यायालय न तो विषय-वस्तु का विशेषज्ञ है और न ही उसके पास उत्तरों की सत्यता या असत्यता का व्यक्तिपरक या वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने का कोई अधिकार है। न्यायालय को इस बात पर टिप्पणी करने या कोई स्वतंत्र मूल्यांकन करने की विशेषज्ञता से भी वंचित किया जाता है कि विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा किए गए विश्लेषण और निष्कर्ष सही हैं या नहीं।

26. यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के विद्वान डिविज़ियो बेंच और समन्वय पीठों द्वारा कई निर्णय पारित किए गए हैं, मेरी सुविचारित राय में, विकसित कानून को कुछ प्रस्तावों में निष्कर्ष निकाला गया है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** के मामले में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, ***(2018) 2 एससीसी 357*** के पैराग्राफ -30 में रिपोर्ट किया गया है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> 30. इसलिए इस विषय पर कानून काफी स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को उजागर करने का प्रस्ताव करते हैं। वे इस प्रकार हैं:
> 30.1. यदि परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियमन अधिकार के रूप में उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की जांच की अनुमति देता है, तो परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकरण इसकी अनुमति दे सकता है;
> 30.2. यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियमन उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है (जो इसे प्रतिबंधित करने से अलग है) तो <u>अदालत पुनर्मूल्यांकन</u>

> या जांच की अनुमति केवल तभी दे सकती है जब इसे बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है, बिना किसी "तर्क की अनुमानित प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया" के और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में कि एक भौतिक त्रुटि की गई है;
>
> 30.3. न्यायालय को किसी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए - इस मामले में न्यायालय की कोई विशेषज्ञता नहीं है और शैक्षणिक मामलों को शिक्षाविदों के लिए ही छोड़ देना बेहतर है;
>
> 30.4. न्यायालय को प्रमुख उत्तरों की शुद्धता का अनुमान लगाना चाहिए और उस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए; और
>
> 30.5. संदेह की स्थिति में, लाभ उम्मीदवार के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को जाना चाहिए।
>
> **(रेखांकित जोर)**

27. इसके अलावा, कई निर्णयों में कहा गया है कि केवल तभी जब न्यायालय आश्वस्त हो कि उत्तर कुंजी *"स्पष्ट रूप से गलत"* है, तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि विषय वस्तु विशेषज्ञ एक विश्लेषण देने में सक्षम है, जो कि विषय के साथ ही यथोचित रूप से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो न्यायालय इस तरह के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा। हालांकि, इस तरह के प्रस्ताव के लिए कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है और यह प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर हो सकता है।

28. यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि उम्मीदवार पर न केवल यह प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी है कि मुख्य उत्तर सही है, बल्कि यह भी कि यह एक स्पष्ट गलती है, जो पूरी तरह से स्पष्ट है और यह दिखाने के लिए किसी अनुमानित प्रक्रिया या तर्क की आवश्यकता नहीं है कि मुख्य उत्तर गलत है। संवैधानिक न्यायालयों

को ऐसे मामलों में बहुत संयम बरतना चाहिए और प्रमुख उत्तर की शुद्धता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए।

29. इसमें कोई विवाद नहीं है कि आयोग द्वारा दिनांक 24.09.2020 को जारी विज्ञापन के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने स्वयं को पात्र पाते हुए भौतिकी के सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा में संबंधित विषय के 80 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल थे। प्रश्न पत्र चार श्रृंखलाओं यानी ए, बी, सी और डी श्रृंखलाओं में मुद्रित किया गया था। हालांकि, चार श्रृंखलाओं में से प्रत्येक में क्रम इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि एक श्रृंखला में प्रत्येक प्रश्न का अनुक्रम दूसरी श्रृंखला से भिन्न होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह संबंधित विषय के विशेषज्ञ यानी भौतिकी द्वारा निर्धारित किया गया था, हालांकि, आयोग के मानदंडों के अनुसार, प्रश्न निर्धारकों द्वारा तैयार की गई कुंजी (प्रश्नों के सही उत्तर) की विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा जांच और छानबीन की गई थी।

30. यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता ने लगातार अभ्यावेदन दायर किया है और विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए विभिन्न प्रमाणपत्रों का उल्लेख किया है, जिन्होंने एक प्रमाण पत्र दिया है कि आयोग द्वारा निर्धारित उत्तर कुंजी उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों में उल्लिखित प्रश्नों के संबंध में गलत है। आयोग के एक ही विशेषज्ञ एक ही प्रश्न के संबंध में अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग राय देते रहे हैं। पहली बार, 05.01.2023 को, उन्होंने सभी 80 प्रश्नों की उत्तर कुंजी की जांच की थी, फिर भी उन्होंने दो अनंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की और उन्हें अंतिम रूप नहीं दे सके। इसके बाद, उन्होंने अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करते समय कुछ उत्तरों को फिर से बदल दिया। अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित होने के बाद भी फिर से दो प्रश्न हटा दिए गए। इसके बाद,

एक और अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई। *कुल मिलाकर*, याचिकाकर्ता के कथन के अनुसार आयोग द्वारा पाँच उत्तर कुंजी और आयोग के कथन के अनुसार तीन बार प्रकाशित की गई हैं। आयोग के विशेषज्ञ जवाब के बारे में निश्चित नहीं प्रतीत होते हैं। बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा में, विशेष रूप से भौतिकी के विषय में, एक उत्तर विशेष रूप से सही होना चाहिए था और विशेषज्ञों से एक बैठक में सभी 80 प्रश्नों के सही उत्तर देने की अपेक्षा की जाती थी। भले ही अन्य बैठकें आयोजित की गई हों, लेकिन यह तथ्य कि कुछ उत्तरों में बदलाव किया गया था, स्पष्ट रूप से बताता है कि आयोग द्वारा प्रस्तुत उत्तर कुंजी को सार्वजनिक रोजगार के उद्देश्य से स्वीकार करने के लिए सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है।

31. पक्षों की दलीलों को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति उनके द्वारा सुझाई गई उत्तर कुंजी के बारे में आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि उसने न केवल एक बार बल्कि दो बार अपनी उत्तर कुंजी बदली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गलत उत्तर कुंजी गलत परिणाम की ओर ले जाती है। यह न्यायालय किसी विशेष प्रश्न के उत्तर की सत्यता की जांच करने में खुद को पूरी तरह से अक्षम पाता है क्योंकि उसके पास एक परीक्षण निकाय द्वारा निर्धारित किए जा रहे प्रश्नों के संबंध में कोई विशेषज्ञता नहीं है। मेरी सुविचारित राय में, किसी विशेष न्यायाधीश को किसी विशेष विषय से संबंधित विशेष ज्ञान हो सकता है, हालांकि, यह ज्ञान किसी विशेष प्रश्न के संबंध में उत्तर कुंजी के बारे में संदेह करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने प्रतिष्ठित प्रोफेसरों के कई प्रमाणपत्रों को इस तर्क के साथ दर्ज किया है कि विशेष उत्तर गलत या सही क्यों है।

32. इस स्तर पर, यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए मजबूर है कि प्रमुख उत्तर तैयार करते समय, आयोग के विशेषज्ञ स्वयं कई प्रश्नों के निर्णायक उत्तर तक नहीं पहुंच सके, जिससे उनकी समीक्षा की गई और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर बाद के प्रमुख उत्तरों के मॉडल को दो बार प्रकाशित किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री, यानी प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों की राय, आयोग द्वारा एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है, जहां तक यह याचिकाकर्ता से संबंधित है।

33. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पूर्वगामी पैराग्राफ में की गई चर्चाओं पर विचार करते हुए, यह न्यायालय न्याय के हित में निम्नलिखित निर्देश देना समीचीन समझता हैः-

(i) आयोग को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. टी.), पटना और एन. आई. टी., पटना के पांच विषय विशेषज्ञों से बनी एक नई समिति का गठन करने का निर्देश दिया जाता है, जो सेट बी के प्रश्न संख्या 17, 20, 27 और 54 के निश्चित उत्तर खोजने के लिए बाध्य होंगे।

(ii) उक्त विशेषज्ञ समिति की पूरी कार्यवाही को आयोग के समक्ष रखने के लिए लिखित रूप में कम किया जाएगा।

(iii) आयोग, पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करेगा। यदि याचिकाकर्ता के मामले को विशेषज्ञ समिति से

समर्थन मिलता है, तो उसे साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा।

(iv) पूरी कवायद केवल याचिकाकर्ता के मामले तक ही सीमित होगी।

(v) इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर पूरी कवायद पूरी की जानी चाहिए।

(v) उपरोक्त निर्देशों के लागू होने के बाद दिनांकित 18.04.2023 का अंतरिम आदेश स्वतः ही खाली हो जाएगा।

34. इस रिट आवेदन का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ किया जाता है।

(अंजनी कुमार शरण, न्यायमूर्ति)

त्रिवेदी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।